श्रीमाधोपुर

16-11-2022

Civil 2022/1385

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश प्रसाद मीणा बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा:-विविध प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर:- 84/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
16.11.2022	प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र शोभाग चन्द मीणा निवासी वार्ड नम्बर 15 श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 949 रकबा 0.2300 हैक्टर में करीबन 50 वर्षो से सर्व समाज के शमशान बने होकर मोक्षधाम के लिए उपयोग में आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रकरण की जॉच कर सुसंगत धाराओं के तहत प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को लिखा गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रकरण की जॉच कर वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2788/भू.अ./22 दिनांक 07.11.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट मय मूल पत्रावली के साथ पेश हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 949 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी करणसिंह पुत्र अनोपसिंह वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि को मौके पर शमशान के रूप में काम में लिया जा रहा है। जिसके मौके के नौ रंगीन फोटोग्राफ्स भी संलग्न पेश किये गये है। नये खसरा नम्बर 949 के पुराने खसरा नम्बर 525 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा से बना होने तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 व सम्वत् 2024 से 2027 के कॉलम संख्या 15, 23, 31, 38 में गै0मु0 मुर्दाखाना दर्ज रिकार्ड है। जिसके आधार पर खसरा नम्बर 949 में गै0मु0 शमशान दर्ज किये जाने की अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर की गई है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी, नकल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल तथा मौका स्थल के नौ रंगीन फोटोग्राफ्स के साथ प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वार्ता की जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.22 16:11:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

1956 का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट एंव प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एंव मनन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 949 में मौके पर सम्पूर्ण रकबे में श्मशान भूमि होकर गै0 मु0 श्मशान के रूप में काम में लिया जाना प्रस्तुत रंगीन फोटोग्राफ्स से विदित होता है। जिससे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी जगदीश मीणा निवासी श्रीमाधोपुर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 949 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम के स्थान पर किस्म गै0 मु0 श्मशान दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

2601/रीडर
17-11-2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.22 16:11:00 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर